

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमांक : एफ-35/पी.सी./ए.क्यू.सी.92/डी-22

दिनांक: 16/3/18

विषय :- श्री एस. के. बग्गा, विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 92 दिनांक 20.03.2018 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) झुग्गी वस्तियों में स्थित भवनों, पोर्टा केबिन्स में सिविल, इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल कार्य कराने व जन सुविधाएं जिन दरों पर प्रदान की जाती हैं, उनके स्पेसिफिकेशन का विवरण क्या है;	डी एस आर तथा वास्तविक साईट कन्डिशन सी पी डब्लु डी स्पेसिफिकेशन एवं तत्कालीन मार्केट रेट के आधार पर मूल्य तय किया जाता है।
(ख) उक्त निर्माणों के गुणवत्ता के स्तर की जांच हेतु जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण क्या है;	गुणवत्ता की जांच सम्बन्धित सहायक अभियांता एवं अधिशाषी अभियांता द्वारा की जाती हैं।
(ग) क्या भवनों, पोर्टा केबिन, क्युबिकल प्रिफैब टॉयलेट्स, पोर्टेबल क्युबिकल टॉयलेट और मोबाइल टॉयलेट्स वैन के निर्माण के विभिन्न एस्टिमेट बनाते समय नॉन शेड्यूल आइटम्स को शामिल किया जाता है तथा ऐसी सभी स्वीकृति हेतु डूसिब के अधिकार कहां तक सक्षम है;	जी हां, डीयूएसआईबी द्वारा स्वीकृत विभाग में वितरित वित्तीय एवं तकनीकी सक्षमता के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता को अधिकार है।
(घ) पोर्टा केबिन, रैन बसेरों अथवा कम्युनिटी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में बायो डायजेस्टर टॉयलेट प्रदान करने हेतु कन्सल्टेंट/डीआरडीओ अथवा विभागीय इंजीनियर्स द्वारा अनुसंशा किए गए नोट की प्रति उपलब्ध करें;	सक्षम आधिकारी द्वारा डेलिगेटिड पावर के अनुसार किया जाता है। प्रति लिपि संलग्न है।
(ङ) झुग्गी वस्तियों में बायोडायजेस्टर टॉयलेट प्रदान करने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है;	वर्तमान में झुग्गी वस्तियों में बायोडायजेस्टर नहीं लगे हुए हैं।
(च) वर्ष 2010 के बाद डूसिब द्वारा प्रदान किए गए बायोडायजेस्टर का पूर्ण विवरण क्या है;	सूची संलग्न है। (संलग्न-1)
(छ) विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़े या वहां से हटाये गये बायोडायजेस्टर का विवरण क्या है;	रैन बसेरा जमामसजिद-6 नं0, तिलक नगर रैन बसेरा-8 नं0, रतन पुरी चौक रैन बसेरा-06 नं0, बगला साहिब गुरद्वारा-05 नं0, जय हिन्द कैम्प बसंत कुज-11 नं0।
(ज) डूसिब द्वारा बायोडायजेस्टर टेक्नॉलाजी को अपनाने	सक्षम आधिकारी द्वारा डेलिगेटिड पावर अनुसार

